भारत का नया कानूनी युग: व्यवसाय सुगमता, एमएसएमई पुनर्जीवन और निवेश-अनुकूल सुधारों की दिशा में निर्णायक कदम

भारत का कानूनी एवं नियामक ढांचा अब तेज़ी से बदल रहा है। सुधारों का फोकस व्यापार सुगमता, त्वरित वाद निस्तारण, एमएसएमई संरक्षण और विलय-अधिग्रहण (M&A के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना है।

इसी संदर्भ में भारत का कानूनी परिदृश्य: व्यवसाय सशक्तिकरण, एमएसएमई पुनर्जीवन और जिम्मेदार पूंजी को प्रोत्साहन कार्यक्रम से पहले आयोजित मीडिया संवाद में एयू कॉर्पोरेट एडवाइज़री एंड लीगल सर्विसेज़ के

संस्थापक श्री अक्षत खेतान ने इन सुधारों की महत्ता पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि तेज़ और पारदर्शी कानूनी व्यवस्था अब व्यवसाय को गति देने का सबसे बड़ा साधन बन चुकी है। आज कानून अड़चन नहीं, बल्कि व्यवसाय का समर्थ साझेदार है। पारदर्शी, पूर्वानुमेय और बिजनेस-फ्रेंडली कानूनी व्यवस्था हमारा संकल्प है, श्री खेतान ने जोर देते हुए कहा।कॉर्पोरेट प्रशासन, डिजिटल अनुपालन और निवेश-अनुकूल नीतियाँ भारत को वैश्विक स्तर पर और प्रतिस्पर्धी बना रही हैं।